मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 640 / 159 / 2013 / 42–2 भोपाल, दिनांक 14 / 03 / 2013

प्रति,

संचालक
कौशल विकास मध्यप्रदेश
जबलपुर.

487
20-3-13

विषयः शासकीय एवं निजी आईटीआई के व्यवसायों का NCVT/MPCVET(SCVT) से संबद्धता (Affiliation) हेतु नवीन प्रक्रिया का निर्धारण करने बाबत्।

संदर्भः आपकी टीप क्रमांक कौविसं / 16 / दिनांक 24 / 01 / 2013.

–00–

संदर्भित टीप के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार राज्य शासन द्वारा आईटीआई प्रारंभ करने के लिए राज्य शासन के ज्ञाप दिनांक 2 / 11 / 2011 के द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त करते हुए, समस्त शासकीय एवं निजी आईटीआई के ट्रेड्स की एनसीवीटी से संबद्धता प्राप्त करने के लिए महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण के पत्र दिनांक 6 अगस्त, 2012 के द्वारा क्वालिटी काउंसिल आफ इंडिया (क्यूसीआई) के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को अंगीकार करने का निर्णय लिया है तथा मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (पूर्व में एससीवीटी) के तहत निजी आईटीआई प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का निर्धारण किया हैः–

(i) रू. 5000 / – की राशि संचालक कौशल विकास द्वारा आवेदन पत्र के साथ ली जाएगी। आवेदन पत्र (Annexure I & III) संचालक कौशल विकास की वेब साईट www.mpdt.nic.in पर उपलब्ध है।

(ii) निजी आईटीआई की स्थापना के लिए संबंधित एजेंसी को एनसीवीटी द्वारा निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के पश्चात् आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(iii) विभागीय समिति के द्वारा निरीक्षण कराया जाएगा तथा निरीक्षण में पाई गई कमियों की पूर्ति के पश्चात् पुनः आवेदन करने पर रू. 5000 / – का शुल्क दोबारा देय होगा।

(iv) सभी मानदंडों की पूर्ति होने पर संचालक कौशल विकास / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपीसीवेट एक वर्ष के लिए अधिकतम प्रवेश की अनुमति जारी कर सकेंगे। अगले वर्ष संस्था को एनसीवीटी के तहत ही आवेदन करना अनिवार्य होगा।

संचालनालय प्रशिक्षण
म. प्र. जबलपुर
दिनांक 14-03-2013
अनुभाग एफिलेशन
अधीक्षक संचालक

AD
TL 24/03/13
DC 20/3/13

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.एस. नरवरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

पृष्ठां.क्रमांक 641 / 159 / 2013 / 42–2 भोपाल, दिनांक 14 / 03 / 2013

प्रतिलिपि–

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर.
2. महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपीसीवेट, भोपाल

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

H:\Training\Admission\Order__Affiliation.doc